तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/10/19	[illegible] ही वर्तमान में [illegible] पक्षों के [illegible] की तारीख में [illegible] प्रस्तुत [illegible] ही पक्षों [illegible] के लिए पक्षों की [illegible] तब मामले [illegible] कर दिया गया। प्रार्थी [illegible] की नियत के मुताबिक [illegible] पेश किया है उक्त अपील पत्र में किसी भी प्रकार का [illegible] प्रतीत नहीं होता है। पत्र में वर्णित [illegible] 127 खसरा 136.01 बीघा की [illegible] भूमि है जो मौजा गढ़ता पश्चात [illegible] में स्थित है। पत्र में वर्णित तथ्यों का विश्लेषण करते हुए पत्र का पत्र व्यवहार फरमाने जाने का निर्णय किया। पत्रावली पर उपलब्ध हस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त खसरा नं. 127 रकबा 136.01 बीघा भूमि गाड़ गढ़ता की सरकारी भूमि है। उक्त भूमि में से 05.00 बीघा भूमि पर प्रार्थी ने अपना कब्जा होना बताया है। पत्र से यह भी प्रकट होता है कि प्रार्थी निरन्तर कब्जा शामिल प्रार्थी पर है। एवं [illegible] प्रार्थी ने पेश नहीं किया है। [illegible] के जवाब अनुसार प्रार्थी अतिक्रमी है। अतः प्रार्थी उक्त प्रस्तुत पत्र में उनके मामला सरकारी भूमि होने से उनके पक्ष का कब्जा नहीं पाया जाता है। सुविधा का सन्तुलन एवं परस्पर भूमि के लिए भी वादग्रस्त भूमि सरकारी होने से प्रार्थी के पक्ष में कब्जा नहीं पाया जाता है। प्रार्थी का पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। विपक्षी प्रार्थी का पत्र खारिज होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर अन्तिम रूप से दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/10/19 को सुनाया जाता है। (महावीर सिंह) स. [illegible] बाप (जिला जयपुर) राज.

Scanned by CamScanner